प्रेस नोट संख्या- 13

दिनांक 08.07.2024

सराहनीय कार्य थाना मुंशीगंज पुलिस/सर्विलांस टीम जनपद अमेठी

24 घण्टे में चोरी का खुलासा, 403 अदद बोरियों में चोरी के 120 क्विंटल 90 कि0ग्रा0 मटर दाल (कुल कीमत 05 लाख 96 हजार 557 रूपये), मटर दाल बिक्री के 2,500/- रुपये नगद व डीसीएम ट्रक के साथ 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में दिनांक 07.07.2024 को तलाश वांछित देखभाल क्षेत्र व मु0अ0सं0 135/24 धारा 303(2), 316(2) बी0एन0एस0 थाना मुंशीगंज के अनावरण हेतु चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान उ0नि0 संजय सिंह थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी मय हमराह मुंशीगंज चौराहे से परतोष के मध्य कर्बला जाने वाले मार्ग के सामने मौजूद थे तभी सर्विलांस टीम के हे0का0 पवनेश यादव मय हमराह मौके पर आ गये एवं उक्त मुकदमा से संबन्धित घटना के अनावरण के संबन्ध में बातचीत करने लगे तभी मुखबिर ने सूचना दी कि मटर दाल चोरी से संबन्धित डीसीएम ट्रक मुंशीगंज से सुल्तानपुर की ओर आ रही है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सतर्कतापूर्वक चेकिंग की जाने लगी तभी कुछ समय बाद मुंशीगंज की ओर से डीसीएम ट्रक आता हुया दिखायी दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया। डीसीएम चालक द्वारा सड़क के किनारे डीसीएम रोक दी गई एवं चालक व डीसीएम में बैठा अन्य एक व्यक्ति उतरकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा हिकमतअमली से दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया एवं नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम मुस्तकीम पुत्र स्व0 रहीम उम्र करीब 55 वर्ष व दूसरे ने अपना नाम अरमान पुत्र मुस्तकीम उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण ग्राम काले का पुरवा मजरे तेन्दुआ थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी बताया। जामातलाशी से अरमान के कब्जे से 500/- रुपये व मुस्तकीम के कब्जे से 2,000/- रुपये बरामद हुये।

डीसीएम ट्रक के संबन्ध में पूछताछ कर कागज मांगने पर दोनों व्यक्तियों ने बताया कि **हमदोनों बाप बेटे हैं, साथ में ही ट्रक चलाते हैं। दिनांक 01.07.2024 को कानपुर के रामादेवी पल्सेस पनकी साइट नं0 3 जे 36 कम्पनी से 434 बोरी मटर दाल शिवनायक कुशवाहा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सुलतानपुर के शंकर कैलाशी एण्ड कंपनी के यहां ले जाने का किराया मिला था। जिसके बाद हमलोग माल लेकर अपने घर के पास फुरसतगंज बाजार में योजना बनाये कि उक्त माल को कम दाम पर बेंच देगे और मालिक को बता देंगे कि माल को किसी ने लूट लिया है।** हमलोग अपने डीसीएम में लदे कुल 434 बोरी मटर दाल में से 238 बोरी मटर दाल को कस्बा नसीराबाद जनपद रायबरेली के अनस की दुकान पर बेंच दिये हैं एवं कुछ बोरी मटर दाल को ग्राम पूरे पंडित थाना मोहनगंज जनपद अमेठी में एक किराये की दुकान लेकर उसमें रख दिया था। आज हमलोग डीसीएम में 40 बोरी मटर दाल को सुलतानपुर बेचने हेतु ले जा रहे थे। पकड़े जाने के डर से हमलोगों ने डीसीएम की नंबर प्लेट पर काला टेप लगा दिया है एवं साइड व सामने के शीशे पर लिखी चीजों को भी पेंट कर दिया है। हमलोगों ने कुछ माल रास्ते मे आने जाने वाले व्यक्तियों को कम रुपये में बेच दिया, हमारे पास से बरामद रुपये उसी मटर दाल बिक्री के हैं।

अभियुक्तों की निशानदेही पर शाहमऊ बाजार थानाक्षेत्र मोहनगंज में **ग्राम पूरे पंडित में दुकान से कुल 125 बोरी मटर दाल की बरामद हुयी व नसीराबाद बाजार जनपद रायबरेली से अनस की दुकान से कुल 238 बोरी मटर दाल बरामद हुयी।** चोरी की मटर दाल खरीदने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मो0 अनस पुत्र रियाज अहमद निवासी वार्ड नं0 06 शिवनगर तिराहा कस्बा व थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली उम्र करीब 21 वर्ष बताया एवं बताया गया कि मै रुपयों के लालच में चोरी के माल को सस्ते में खरीद लेता हूं ताकि यह माल बेचने से मुझे ज्यादा मुनाफा हो सके। उक्त तीनों व्यक्तियों को दिनांक 08.07.2024 को समय करीब 01:05 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया। कुल बरामद 403 बोरी मटर दाल को कब्जे में लेकर व गिरफ्तारी के संबन्ध में थाना मुंशीगंज पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी स्थानः- परतोष, कर्बला जाने वाले मोड़ के पास व नसीराबाद बाजार से **दिनांकः-** 08.07.2024 **समयः-** 01:05 बजे रात्रि में।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. मुस्तकीम पुत्र स्व0 रहीम निवासी ग्राम काले का पुरवा मजरे तेन्दुआ थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 55 वर्ष।
2. अरमान पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम काले का पुरवा मजरे तेन्दुआ थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष।
3. मो0 अनस पुत्र रियाज अहमद निवासी वार्ड नं0 06 शिवनगर तिराहा कस्बा व थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी- (कुल कीमत 05 लाख 96 हजार 557 रूपये)

- कुल 403 बोरी मटर दाल।
- 2,500/- रुपये नगद।
- डी0सी0एम0 ट्रक सं0 UP51 T 2924।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही -

1. मु0अ0सं0 135/24 धारा 303(2), 316(2), 229, 219, 317(2), 317(4), 238 बी0एन0एस0 थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।
2. डी0सी0एम0 ट्रक सं0 UP51 T 2924। (धारा 207 एम0वी0 एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 प्रेमचन्द्र गौतम थानाध्यक्ष मुंशीगंज जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 संजय सिंह थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।
3. हे0का0 प्रकाश चन्द्र यादव थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।
4. हे0का0 धीरेन्द्र कुमार थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।
5. हे0का0 पवनेश यादव सर्विलांस टीम जनपद अमेठी।
6. हे0का0 बृजेश विश्वकर्मा सर्विलांस टीम जनपद अमेठी।
7. का0 कपिल सिंह सर्विलांस टीम जनपद अमेठी।
8. का0 कृष्णवीर चाहर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।

अभियुक्त मुस्तकीम का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 191/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली।
2. मु0अ0सं0 212/2017 धारा 302/201 भादवि थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली
3. मु0अ0सं0 117/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवा0 अधि0 , 3/5क/8,5 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशुक्रूरता निवा0 अधि0 थाना गोपीगंज जनपद भदोही।